"बिजनेस पोस्ट के अं गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनु ा. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-20 1."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2012—माघ 7, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1760/914/अव./2011/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2-1-2012 से 13-1-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 1, 14 एवं 15-1-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—श्री व्ही. के. छबलानी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा (1989 बैच) की सेवाएं, भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली ने प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपने की सहमति के फलस्वरूप, श्री छबलानी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार, रूआबांधा, रिसाली भिलाई को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें बाद में जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1736/922/अव./2011/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 26-12-2011 से 31-12-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 एवं 1-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1737/914/अव./2011/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-12-2011 से 31-12-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 एवं 1-1-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1754/931/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 26-12-2011 से 2-1-2012 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे

3. अवकाश अवधि में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1762/994/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एन. के. भट्टर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) को दिनांक 26-12-2011 से 31-12-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 तथा 1-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भट्टर, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भट्टर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक 20/950/अव./2011/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 26-12-2011 से 31-12-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 एवं 1-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोडने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री केरकेट्टा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे

3. अवकाश अवधि में श्री केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक 24/965/अव./2011/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 26-12-2011 से 31-12-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2011 तथा -1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर, आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक 26/952/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एस. सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 22-12-2011 से 31-12-2011 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 1-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमाल, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीमाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 13-3/2007/1-3.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6-7-2007 द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया था. उक्त आदेश की कंडिका-5 में उल्लेखित अनुसंधान अधिकारी/सहायक संचालक (अनुसंधान) (एन्थ्रोपोलॉजी/सोशियालॉजी) आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के अतिरिक्त निम्नानुसार और सदस्यों को नामांकित किया जाता है :—

1.	उप संचालक/अनुसंधान अधिकारी, बिलासपुर संभाग बिलासपुर	—	सदस्य
2.	उप संचालक/अनुसंधान अधिकारी, सरगुजा संभाग सरगुजा	—	सदस्य
3.	उप संचालक/अनुसंधान अधिकारी, बस्तर संभाग बस्तर	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्रमांक 9343/2705/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित तालिका की कंडिका (1) में दर्शित कुटुम्ब न्यायालय हेतु तालिका की कंडिका (2) में वर्णित व्यक्तियों को, अग्रिम आदेश तक के लिये, परामर्शदाता नियुक्त करता है :—

क्र.	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (1)	परामर्शदाता का नाम (2)
1.	रायगढ़	1. श्रीमती निर्मला मौर्य 2. श्री नरेश मिश्रा 3. श्रीमती सुनीता तिवारी 4. श्रीमती बृन्दा साव

No. 9343/2705/XXI-B/CG/2011.—In exercise of the powers conferred by section 6 of The Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984) read with Rule 6 of the Family Courts Rules, 2007 the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Counsellers mentioned in column No. 2 for the District mentioned in column No. 1 of the schedule below, till further orders :—

SCHEDULE

S. No.	Name of Family Court (1)	Name of Counsellers (2)
1.	Raigarh	1. Smt. Nirmala Mourya 2. Shri Naresh Mishra 3. Smt. Sunita Tiwari 4. Smt. Brinda Sao

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्रमांक 16/2819/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2768/965/21-ब छ.ग. 08 दिनांक 01-04-2008 द्वारा स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) जगदलपुर के लिए गठित लोक अदालत के नामांकित सदस्य डॉ. मनोज [illegible] द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति एतद्द्वारा निरस्त करता है.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्रमांक 18 [illegible] 21-ब/छ.ग./2012.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 22(ख) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, जनोपयोगी सेवाओं हेतु गठित स्थाई लोक अदालत के लिए, अनुसूची के कालम (2) में दर्शित व्यक्ति को अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट

जनोपयागी सेवा के लिए गठित स्थाई लोक अदालत का सदस्य नामांकित करती है :—

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	जनउपयोगी स्थाई लोक अदालत का नाम
1.	दिव्या श्री कृष्ण मूर्ति	जगदलपुर

F. No. 18/2819/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 22 (B) of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Government on the recommendation of the State Legal Service Authority, hereby, nominates the person shown in column No. (2) of the Schedule as member of the Permanent Lok Adalat constituted for public utility service, for the place specified in column No. (3) of the Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Name of person	Name of Permanent Lok Adalat for public utility
1.	Divya Shri Krishan Murti	Jagdalpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 10-16/2011/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

मेघावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(I) योजना का नाम "मेघावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, वर्ष 2011" होगा.

(II) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "पुरस्कार सहायता राशि" एक मुश्त देय होगी.

स. क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक पुरस्कार राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	2,000	2,500
2.	कक्षा 6वीं से 8वीं	3,000	3,500
3.	9वीं से 12वीं	5,000	5,500
4.	समस्त स्नातक कक्षा	7,000	7,500
5.	समस्त स्नातकोत्तर कक्षा	10,000	10,500
6.	समस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा	12,000	12,500

(III) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा.

(IV) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(I) योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा.

(II) पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों में से ऐसे बच्चे जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करें, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा.

(III) इस योजना के लाभ की पात्रता हितग्राहियों के पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत होगी.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(I) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) **अन्य विवरण :—**

(I) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 10-20/2011/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना 2011" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदाय राशि रुपये 20,000/- अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 10-21/2011/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी

गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

गंभीर बीमारियों हेतु चिकित्सा सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के परिधि में नहीं आने वाले निर्माणी श्रमिकों के बीमारियों के लिए गंभीर बीमारियों हेतु चिकित्सा सहायता योजना 2011" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् प्रदत्त रुपये 30,000/- से अधिक व्यय होने पर रुपये 50,000/- तक चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(iv) योजना के अंतर्गत गंभीर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिसूचित है.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) **अन्य विवस्था :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1/चयन समिति/ऊ.वि./2011 दिनांक 22-12-2011 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया था. चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार सदस्य की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई.

2. समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

3. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो पहले हो, होगी.

4. इस नियुक्ति के वेतन, भत्ते एवं सेवा के निबन्धन व शर्तों के आदेश पृथक से जारी किए जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-6/2008/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सी. एस. खाण्डे, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक को छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26-12-2011 में समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100-6600 ग्रेड वेतन में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग राजनांदगांव के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों का पालन गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 4-11/2011/23.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 4 की उपधारा (1), (2) (एक) एवं (दो) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम-3 में उल्लेखित सदस्यों को संबंधित जिले में जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

क्र.	निकायों का नाम	सदस्य का नाम	पता	जि.यो.स. गठन का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(1) जिला-रायपुर		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती अरूणा रानी बघेल	ग्रा. तुलसी, पो. नेवरा, तह. तिल्दा जिला-रायपुर.	03-06-2010
2.	—,,—	श्री अमृत लाल नागेश	ग्रा. तुहामेटा, पो.-जिडार, वि.ख.-मैनपुर, जिला-रायपुर.	03-06-2010
3.	—,,—	श्री बलदाऊ वर्मा	ग्रा. मुसवाडीह, पो.-जारा, वि.ख.-पलारी, जिला-रायपुर.	03-06-2010
4.	—,,—	श्रीमती भुनेश्वरी कुर्रे	ग्रा. व पो. रायकोना, वि.ख.-बिलाईगढ़, जिला-रायपुर.	03-06-2010
5	—,,—	श्रीमती सत्यभामा साहू	ग्रा. व पो. मटिया, वि.ख.-कसडोल जिला-रायपुर.	03-06-2010
6.	—,,—	श्रीमती लता उदय साहू	ग्रा. श्यामनगर (चचौद), पो. बरोन्डा, वि.ख.-फिंगेश्वर, जिला रायपुर.	03-06-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री परमानंद जांगड़े	ग्रा. छतौना, पो.-मंदिरहसौद, जिला-रायपुर.	03-06-2010
8.	—,,—	श्री कृष्ण कुमार (बल्लू दाऊ)	ग्रा. बोरियाखुर्द, पो. सन्दर नगर, वि.ख.-धरसींवा, जिला-रायपुर.	03-06-2010
9.	—,,—	श्री जनक वर्मा	ग्रा. मुढ़हीपार, पो. मल्दी, वि.ख.-बलौदाबाजार, जिला-रायपुर.	03-06-2010
10.	—,,—	श्रीमती लोकिन साहू	ग्रा. व पो. बासिन, वि.ख.-फिंगेश्वर, जिला-रायपुर.	03-06-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्री नीरज कतलम	पंडित ईश्वरी चरण शुक्ला वार्ड सुन्दर नगर रायपुर.	03-06-2010
2.	—,,—	श्री सहदेव व्यवहार	रानी दुर्गावती वार्ड न्यू पुरैना चर्च के पास, रायपुर.	03-06-2010
3.	—,,—	श्रीमती सरिता वर्मा	महामाया मंदिर वार्ड पार्षद भवन मठपारा दूधाधारी मंदिर मार्ग, रायपुर.	03-06-2010
4.	—,,—	डॉ. पूर्ण प्रकाश झा (बाबा)	वीर शिवाजी वार्ड 983 संतोषी नगर खमतराई, रायपुर.	03-06-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्रीमती अंजू जैन	भाटापारा रोड, बलौदाबाजार, जिला-रायपुर.	03-06-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री गंगा राम साहू	नगर पंचायत टुण्डरा, जिला-रायपुर	03-06-2010

(2) जिला-बिलासपुर

1.	जिला पंचायत बिलासपुर	श्रीमती अनिता राजेश सूर्यवंशी	ग्राम बिरकोना, जिला बिलासपुर	2-6-2010
2.	—,,—	श्री नरेश कुमार कौशिक	ग्रा. परसदा, पो. तिफरा, तह. व जिला बिलासपुर.	2-6-2010
3.	—,,—	श्री जलेश्वर कौशिक	ग्रा. व पो. चकरभाठा कैम्प, जिला-बिलासपुर.	2-6-2010
4.	—,,—	श्री दीपक रजक	ग्रा. उमरमरा (नवापारा), पो. माली थन कोट.	2-6-2010
5.	—,,—	श्री उमाशंकर साहू	ग्रा. भुसुन्डी, पो.-जरहागांव, तह.-मुंगेली.	2-6-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	जिला पंचायत बिलासपुर	श्रीमती रजनी मानिक सोनवानी	ग्रा. दाबे, पो.-फास्टपुर, जिला-बिलासपुर.	2-6-2010
7.	—,,—	श्रीमती हीरा बाई साहू	ग्रा. छिंदभोग, जिला बिलासपुर	2-6-2010
8.	—,,—	श्रीमती अंजू सिंह राजपूत	ग्रा. बेलखूरी, पो. सोढ़ी, तह.-पथरिया, जिला-बिलासपुर.	2-6-2010
9.	—,,—	श्रीमती प्रेमलता बंजारे	ग्रा. सुखाताल मानपुर, पो.-लालपुर, तह.-लोरमी, जिला-बिलासपुर.	2-6-2010
10.	—,,—	श्री शंकर कंवर	ग्राम गिरवर, पो.-पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर.	2-6-2010
11.	—,,—	कु. समीरा पैकरा	ग्रा. उमरवेही, पो.-जोगीसार, तह.-पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर.	2-6-2010
12.	—,,—	श्री प्रताप भानू	ग्रा. व पो. सेमरदर्री, जिला बिलासपुर	2-6-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्रीमती स्नेहलता शर्मा	ईदगाह रोड, प्रेस क्लब के सामने बिलासपुर.	2-6-2010
2.	—,,—	श्री अमर दास	गणेश नगर, राम मंदिर के पास बिलासपुर.	2-6-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	डॉ. संजय गोस्वामी	सरदार पटैल वार्ड, पी. डब्ल्यू. डी. मार्ग, मुंगेली.	2-6-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	डॉ. राजकुमार साहू	कर्मा माता वार्ड क्र. 2, सरगांव	2-6-2010

(3) जिला-राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती इंदरबती कोसमा	ग्रा.-कुमरदा, पो.-कुमरदा, तहसील-छुरिया, जिला राजनांदगांव.	14-05-2010
2.	—,,—	कु. कंचनमाला भूआर्य	ग्रा. पालेझरी, पो. औंधी, तहसील-मानपुर, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
3.	—,,—	श्री तातूराम भूआर्य	ग्रा. चांपाटोला, पो.-आलकन्हार, तहसील-मोहला, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
4.	—,,—	श्री रेशम लाल गायकवाड़	ग्रा. बिरेझर, पो. बड़ेटेमरी, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
5.	—,,—	श्री संजय शाह	ग्रा. बिहरीकला, पो.-अं. चौकी, तह.-अं. चौकी, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री कमलेश्वर वर्मा	ग्रा. जोगीदल्ली, पो. भेंसातरा, तह.-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
7.	—,,—	श्रीमती किरण साहू	ग्राम हालेकोसा, पो. शिकारीमहका, तह. छुरिया, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
8.	—,,—	श्रीमती शशि बाई जंघेल	ग्राम. साल्हेकला, पो. कुटेलीकला, तह.-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
9.	—,,—	श्री तुकाराम सहारे	ग्रा. चवेला, पो. भावसा, तहसील-मानपुर, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
10.	—,,—	श्रीमती पूनम लिल्हारे	ग्रा. छीपा, पो. मुसरा, तह.-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
11.	—,,—	श्रीमती लिमेश्वरी साहू	ग्रा. कुम्ही, पो. पाड़ादाह, तह.-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
12.	—,,—	श्री संतोष दाऊ	ग्रा. जामसरारकला, पो.-माथलडबरी. तह.-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
13.	—,,—	श्रीमती सरोजनी बंजारे	ग्रा. बरबसपुर, पो.-उपरवाह, तह. व जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्री अशोक फड़नवीस	वार्ड नं. 19, स्टेडियम रोड, राजनांदगांव	14-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिका परिषद्	श्री विक्रांत सिंह	गंजीपारा वार्ड नं. 03, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री गुलशन हिरवानी	वार्ड क्र. 04, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	14-05-2010

(4) जिला-धमतरी

1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती सिंधु अजय बैस	ग्रा. देवरी, पो. भखारा, तह.-कुरूद, जिला-धमतरी.	13-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती देवकी आशा रात्रे	ग्रा. कोड़ेबोड़, तह.-कुरूद, जिला-धमतरी.	13-05-2010
3.	—,,—	सुश्री केशर ध्रुव	ग्रा. व पो. सांकरा, तह.-नगरी, जिला-धमतरी.	13-05-2010
4.	—,,—	श्री नीलम चंद्राकर	ग्रा. भरदा, पो. व तह. कुरूद, जिला-धमतरी.	13-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती संध्या योगेश्वर साहू	ग्रा. व पो. मेघा, तह. कुरूद, जिला-धमतरी.	13-05-2010
6.	—,,—	श्री बालाराम साहू	ग्रा. व पो. पुरी, तह. व जिला-धमतरी	13-05-2010
7.	—,,—	श्री अशोक सोम	अंकित फिश हैचरी, बलभद्रपुर (बिलभदर), नगरी, जिला-धमतरी.	13-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री रानू डागा	सदर उत्तर वार्ड क्र. 25, सदर बाजार, धमतरी.	19-05-2010

(5) जिला-जांजगीर-चांपा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री तोरेन्द्र सोनवाने	मु. पो. बड़ेसीपत, तह. मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती धन्यावति सिंह	मु. पो. खैजा, ज.प. बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
3.	—,,—	श्री प्रदीप सोनी	मु. पो. कोटमीसोनार, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती मीना कुमारी बंजारे	मु. पो. रसौटा, ज.पं. पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती यशोधरा कर्ष	मु. परसापाली, पो. सरवानी, ज.पं. बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
6.	—,,—	श्री रघुवीर सिंह	मु. बनाहील, पो. पकरिया, तह.-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
7.	—,,—	श्रीमती रश्मि गबेल	मु. दर्राभांठा, पो. सकर्रा, तह.-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
8.	—,,—	श्री रामकुमार यादव	मु. जमगहन, पो. मुक्ता, व्हाया मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
9.	—,,—	श्री रोहित कुमार डहरिया	ग्रा. केसला, पो. डोंगाकोहरौद, ज.प. पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
10.	—,,—	श्रीमती विद्या देवी सिदार	ग्रा. केरीबंधा, पो. अर्जुनी, तह. सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
11.	—,,—	श्रीमती विन्दा देवी दिनकर	मु. पुटपुरा, पो. खोखरा, तह.-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती शशि बरेठ	मु. पो. सिवनी (चांपा) ज. पं. बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
13.	—,,—	श्रीमती सावित्री जाटवार	ग्रा. हरदीडीह, पो. कचंदा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
14.	—,,—	श्रीमती सेवती जायसवाल	मु. पो. सिलादेही, ज. पं. बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिका परिषद्	श्री मोहम्मद इमरान	तनवीर इलेक्ट्रिकल्स, पो.आ. के सामने अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री अशोक कलानोरिया	वार्ड क्र. 06, बाराद्वार, जिला-जांजगीर-चांपा.	25-05-2010

(6) जिला-कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती सुनीता राजवाड़े	मु. पो. कनकी, जिला-कोरबा	12-05-2010
2.	—,,—	श्री संदीप कुमार कंवर	मु. बंधवाभाठा, पो. सरंगबुदिया, जिला-कोरबा.	12-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती रामायण देवी	मु. पो. बतरा, जिला-कोरबा	12-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती रीना अजय जायसवाल	मु. पो. भिलाईबाजार, जिला-कोरबा.	12-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती मायावती राठिया	मु. नवापारा, पो. घिनारा, जिला-कोरबा.	12-05-2010
6.	—,,—	श्रीमती खेलबाई पाटले	मु. उरगा, पो. कुदुरमाल, जिला-कोरबा	12-05-2010
7.	—,,—	श्री पवन कुमार सिंह	मु. पो. तुमान, जिला-कोरबा	12-05-2010
8.	—,,—	श्रीमती हीराकली उईके	मु. लैंगी, पो. पसान, जिला-कोरबा	12-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्रीमती आराधना सिंह	म. नं. 189 शांतिनगर बालको, जिला-कोरबा.	12-05-2010
2.	—,.—	श्री संजय कुमार सिंह	एम. 651 आदर्शनगर कुसमुण्डा, जिला-कोरबा.	12-05-2010
3.	—,,—	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	एस.ई. 343 सी.एस.ई.बी. कालोनी कोरबा पूर्व, जिला-कोरबा.	12-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री रोशन सिंह ठाकुर	मु. पो. पाली, जिला-कोरबा	12-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(7) जिला-कोरिया		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती चम्पा देवी	ग्रा. लाई, पो. नागपुर, तह. मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया.	12-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती ओमेश्वरी	ग्रा. पुसला, पो. कटगोड़ी, तह.-सोनहत, जिला-कोरिया.	12-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती श्यामा कुर्रे	ग्रा. व पो. डुमरिया, तह. बैकुंठपुर, जिला-कोरिया.	12-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती पुष्पा सिंह	ग्रा. व पो. देवाडांड़, तह. खड़गंवा, जिला-कोरिया.	12-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती अम्बे तिवारी	ग्रा. सलका, पो. मनसुख, तह. बैकुंठपुर, जिला-कोरिया.	12-05-2010
6.	—,,—	श्री खेलावन सिंह	ग्रा. व पो. सोंस, तह.-खड़गंवा, जिला-कोरिया.	12-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्री रामाराव	हल्दीबाड़ी चिरमिरी, जिला-कोरिया	12-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री धर्मेन्द्र पटवा	नगर पालिका परिषद्, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया.	12-05-2010
		(8) जिला-महासमुंद		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री अखिलेश भोई	ग्रा. व पो. रसोड़ा, वि. खं. बसना, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती अलका चंद्राकर	ग्रा. व पो. गांजर, वि.ख. बागबाहरा, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती किरण ढीढी	ग्रा. व पो. भोरिंग, वि.ख. महासमुंद जिला-महासमुंद.	13-05-2010
4.	—,,—	श्री थानसिंग दीवान	ग्रा. व पो. आमाकोनी, वि.ख. बागबाहरा, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती देवकी दीवान	ग्रा. व पो. भंवरपुर, वि.ख. बसना, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
6.	—,,—	श्रीमती पार्वती साहू	ग्रा. व पो. भोरिंग, वि.ख. महासमुंद, जिला-महासमुंद.	13-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री रामप्रसाद ठाकुर	ग्रा. व पो. हाथीबाहरा, वि.ख. बागबाहरा, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
8.	—,,—	श्रीमती रूप कुमारी चौधरी	ग्रा. हरटार, पो. सरायपाली, वि.ख.-सरायपाली, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
9.	—,,—	श्रीमती सरला कोसरिया	ग्रा. बड़ेसाजापाली, पो. बसना, वि.ख. बसना, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
10.	—,,—	श्रीमती हेम दीवान	ग्रा. खेड़ीगांव, पो. भुरकोनी, वि.ख. पिथौरा, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
11.	—,,—	श्री हेमसागर पटेल	ग्रा. व पो. बोंदानवापाली, वि.ख. सरायपाली, जिला-महासमुंद.	13-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री मन्नू लाल ठाकुर	वार्ड क्र. 08, पिथौरा, जिला-महासमुंद	13-05-2010

(9) जिला-सरगुजा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती कंचन सिंह	ग्रा. व पो. चन्द्रमेढ़ा, तहसील-भैयाथान, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
2.	—,,—	श्री सत्यनारायण जायसवाल	ग्रा. करंजी, पो. करंजी, तहसील-सूरजपुर जिला-सरगुजा.	13-05-2010
3.	—,,—	श्री अनिल जायसवाल	ग्राम असोला, पो. परसा, जिला-सरगुजा	13-05-2010
4.	—,,—	श्री ओमप्रकाश जायसवाल	ग्रा. सोनपुरकला, पो. परसा, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा	ग्रा. भागवतपुर, पो. दुर्गापुर, तहसील-शंकरगढ़, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
6.	—,,—	श्रीमती गीता देवी	ग्रा. व पो. चलगली, तह. वाड्रफनगर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
7.	—,,—	श्रीमती राधिका देवी	ग्रा. दहेजवार, पो. बलरामपुर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
8.	—,,—	श्रीमती शशिकला पैकरा	ग्रा. चेन्द्रा, पो. दवना, ज.पं. ओड़गी, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
9.	—,,—	सुश्री सनियारो देवी	ग्रा. पिड़िया, पो. पेट, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा.	13-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री कुमार सिंह देव	ग्रा. सौतार, पो. सेमरा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
11.	—,,—	भगवती राजवाड़े	अजबनगर, थाना जयनगर, तहसील-सूरजपुर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
12.	—,,—	मिसरी राजवाड़े	ग्रा. सरईटिकरा, पो. भिट्ठीकला, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
13.	—,,—	श्रीमती केशकुंवर	ग्रा. सरना, पो. रघुनाथपुर, तहसील-वाड्रफनगर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
14.	—,,—	डॉ. दिनेश यादव	ग्रा. नवाडीह, पो. धमनी (कृष्ण नगर) तहसील-रामानुजगंज, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
15.	—,,—	श्रीमती प्रमिला पोर्ते	ग्रा. साल्ही, पो. डाड़गांव, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा.	13-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्री मुरारी लाल बंसल	अग्रसेन वार्ड क्रमांक 34 अम्बिकापुर जिला-सरगुजा.	13-05-2010

(10) जिला-कबीरधाम

1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती इंद्राणी चन्द्रवंशी	ग्रा. खपरी, तह. कवर्धा, जिला-कबीरधाम	27-04-2010
2.	—,,—	श्री विदेशी राम धुर्वे	ग्रा. भलपहरी, पो. मड़गड़ा, तह.-बोड़ला, जिला-कबीरधाम.	27-04-2010
3.	—,,—	श्री गोपाल साहू	ग्रा. कोयलारी कांपा, पो. पलानसरी, तह.-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम.	27-04-2010
4.	—,,—	श्री रघुराज सिंह	ग्रा. कोहड़िया, पो. धरमगढ़, तह. सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम.	27-04-2010
5.	—,,—	श्री संतोष पटेल	ग्रा. समनापुर, पो. कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	27-04-2010
6.	—,,—	श्रीमती परमिला मस्कोले	ग्रा. देवसरा, तह. पण्डरिया, जिला-कबीरधाम.	27-04-2010
7.	—,,—	श्रीमती द्रौपती साहू	ग्रा. पो. खैरवना कला, तह. बोड़ला, जिला-कबीरधाम.	27-04-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री करन सिंह ठाकुर	वार्ड नं. 17 कवर्धा, जिला-कबीरधाम	27-04-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(11) जिला-दंतेवाड़ा		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती आराधना मरकाम	ग्रा. कुड़केल, पो. रामाराम, तह. सुकमा, जिला-दंतेवाड़ा.	26-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती जानकी कवासी	ग्रा. व पो. मिलमपल्ली, जिला दंतेवाड़ा	26-05-2010
3.	—,,—	श्री पदाम नंदा	ग्रा. व पो. पोलमपल्ली, जिला दंतेवाड़ा	26-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती ब्रजमणी डेंगल	राजेन्द्र वार्ड कालोनी, पो. गीदम, जिला-दंतेवाड़ा.	26-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती सुलोचना वट्टी	हुडको कालोनी आंवराभाटा, जिला-दंतेवाड़ा.	26-05-2010
6.	—,,—	श्रीमती बिमला सोरी	ग्रा. व पो. भूसारास, तह. व जिला-दंतेवाड़ा.	26-05-2010
7.	—,,—	श्री बोड्डू राजा	ग्रा. पेदा किसोली इंजरम, पो. इंजरम, तह. कोंटा, जिला दंतेवाड़ा.	26-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री मनोज कुमार छालीवाल	मेन मार्केट किरंदुल, वार्ड क्र. 06, पो. किरंदुल, जिला-दंतेवाड़ा.	26-05-2010
		(12) जिला-बस्तर		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती श्यामबती कोर्राम	ग्रा. व पो. छिंदबहार, तह. दरभा, जिला-बस्तर.	14-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती लच्छन्तिन नाग	ग्रा. तरईबेड़ा, पो. हरवेल, तह. बड़ेराजपुर, जिला-बस्तर.	14-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती दीप्ति पांडे	ग्रा. व पो. बोड़नपाल, तह. बस्तर, जिला-बस्तर.	14-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती कविता पाढ़ी	ग्रा. गुमडेल, पो. कोहकापाल, तह.-बकावंड, जिला-बस्तर.	14-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती संतोबाई नाग	ग्रा. व पो. दहीकोंगा, तह. कोण्डागांव, जिला-बस्तर.	14-05-2010
6.	—,,—	श्री खेमचंद नेताम	ग्रा. उमरगांव, पो. बुनागांव, तह. कोंडागांव जिला-बस्तर.	14-05-2010
7.	—,,—	श्रीमती महावती मंडावी	ग्रा. पालानार, पो. कुमार साडरा, तह.-जगदलपुर, जिला-बस्तर.	14-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती स्नेहलता बैस	ग्रा. व पो. जैतगिरी, तह. बकावंड जिला-बस्तर.	14-05-2010
9.	—,,—	श्रीमती पार्वती कश्यप	साकेत कालोनी, जगदलपुर.	14-05-2010
10.	—,,—	कु. रीता चालकी	चालकी पारा हसलनार, तह. कोंडागांव, जिला-बस्तर.	14-05-2010
11.	—,,—	श्री विनायक गोयल	ग्रा. धरमाऊर, पो. कुम्हरावण्ड, तह.-तोकापाल, जिला-बस्तर.	14-05-2010
12.	—,,—	श्री मनीराम कश्यप	ग्रा. व पो. लामकेर, तह. बस्तर, जिला-बस्तर.	14-05-2010
13.	—,,—	श्री तरूण चोपड़ा	मेनरोड भानपुरी, जिला बस्तर	14-05-2010
14.	—,,—	श्री टी. व्ही. रवि	ग्रा. पल्ली, विकासखंड जगदलपुर, जिला-बस्तर.	14-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्री संग्राम सिंह राणा	धरमपुरा मार्ग, सिरडी सांई मंदिर के पीछे जगदलपुर, जिला-बस्तर.	14-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री जसकेतु उसेण्डी	कोपाबेड़ा वार्ड कोण्डागांव, जिला-बस्तर	14-05-2010

(1:) जिला-कांकेर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	सुश्री सीरो कोमरे	ग्रा. व पो. सराधू मिचगांव, तह.-दुर्गकोंदल, जिला-कांकेर.	31-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती उर्मिला उसेण्डी	ग्रा. सुंलगी, पो. व तह. कोयलीबेड़ी, जिला-कांकेर.	31-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती कंचन विश्वास	ग्रा. पी. व्ही. 59, छोटेकापसी, जिला-कांकेर.	31-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती कृष्णा बाई सिन्हा	ग्रा. ण्डरवाही, पो. नाथिया नवागांव, जिला-कांकेर.	31-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती चैताली बेपारी	ग्रा. बान्दे बाजार, बान्देकॉलोनी, जिला-कांकेर.	31-05-2010
6.	—,,—	श्री भोजराज नाग	ग्रा. नयापारा हिमोड़ा, तह. अंतागढ़, जिला-कांकेर.	31-05-2010
7.	—,,—	श्री हीरालाल मरकाम	ग्रा. गहरीन बांधा, पो. शामतरा, तह.-नरहरपुर, जिला-कांकेर.	31-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री बालमुकुंद तिवारी	आमापारा कांकेर, जिला-कांकेर	31-05-2010

(14) जिला-नारायणपुर

1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती श्यामबती	ग्रा. व पो. गढ़बेंगाल, जिला-नारायणपुर	20-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती संध्या पवार	ग्रा. व पो. छोटेडोंगर, जिला-नारायणपुर	20-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती शारदा नाग	ग्रा. व पो. धौड़ाई, जिला-नारायणपुर	20-05-2010
4.	—,,—	श्री मसियाराम नुरेटी	ग्रा. व पो. कोहकामेटा, जिला-नारायणपुर	20-05-2010
5.	—,,—	श्री घासीराम वड़दा	ग्रा. किहकाड़, पो. कोहकामेटा, जिला-नारायणपुर.	20-05-2010
6.	—,,—	श्रीमती केशरी बाई	ग्रा. बेलगांव, पो. बाकुलवाही, जिला-नारायणपुर.	20-05-2010
7.	—,,—	सुश्री सोनबाई	ग्रा. व पो. ओरछा, जिला-नारायणपुर	20-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्रीमती संगीता जैन	ग्रा. व पो. नारायणपुर, जिला-नारायणपुर	20-05-2010

(15) जिला-बीजापुर

1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री जगदीश कोंड्रा	ग्रा. व पो. तिमेड़, तह. भोपालपट्नम, जिला-बीजापुर.	28-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती हीरामनी कोरसा	ग्रा. व पो. नैमेड़, तह. व जिला-बीजापुर	28-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती जमुना सकनी	ग्रा. व पो. गुदमा, तह. भैरमगढ़, जिला-बीजापुर.	28-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती रत्ना सोढ़ी	ग्रा. नेलाकांकेर, पो. लिंगापुर, तह. उसूर, जिला-बीजापुर.	28-05-2010
5.	—,,—	श्री महेश कुमार पुजारी	ग्रा. व पो. बासागुड़ा, तह. आवापल्ली, जिला-बीजापुर.	28-05-2010
6.	—,,—	श्री विक्रम मंडावी	ग्रा.+पो.+तह. भैरमगढ़, जिला-बीजापुर	28-05-2010
7.	—,,—	श्री मिच्चा मुतैया	ग्रा. मदेड़, तह. भोपालपट्नम, जिला-बीजापुर.	28-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री कलाम खान	मेनरोड बीजापुर, जिला बीजापुर	28-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(16) जिला-रायगढ़		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	ग्रा. पो. गेरवानी, तह. रायगढ़, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती अन्नपूर्णा अभय महान्ती	ग्रा. जामझोर, पो. चोढ़ा, तह. खरसिया, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
3.	—,,—	श्री वासुदेव यादव	ग्रा. व पो. गढ़उमरिया, तह. पुसौर, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
4.	—,,—	श्रीमती किरण पटेल	ग्रा. गेजामुड़ा, पो. किरोड़ीमल नगर, तह. रायगढ़, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती नंदनी वर्मा	ग्रा. सिंघनपुर, पो. पासीद, तहसील-सारंगढ़ जिला-रायगढ़.	19-05-2010
6.	—,,—	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक	ग्रा. नवापाली (हठिलापाली), पो.-बरमकेला, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
7.	—,,—	श्रीमती रमा पटेल	ग्रा. कसडोल, तह. तमनार, जिला-रायगढ़	19-05-2010
8.	—,,—	श्री राजाराम राठिया	ग्रा. व पो. ओंगना, तह. धर्मजयगढ़, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
9.	—,,—	श्री रामकृष्ण नायक	ग्रा. छीन्दपतेरा, पो. हट्टापाली, तह. -बरमकेला, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
10.	—,,—	श्री लालजीत सिंह राठिया	ग्रा. बोकरामुड़ा, पो. रीलो, तह. धर्मजयगढ़, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
11.	—,,—	श्रीमती शशिकला विनोद वर्मा	ग्रा. केनाभाठा, पो. बड़ेनावापारा, तह.-बरमकेला, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
12.	—,,—	श्रीमती शांति देवी पैंकरा	ग्रा. राजपुर, तह. लैलूंगा, जिला-रायगढ़	19-05-2010
13.	—,,—	श्री शिवकुमार सिदार	ग्रा. व पो. बिरसिंघा, तह. लैलूंगा, जिला-रायगढ़.	19-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्री सुनील कुमार थवाईत	पैलेस रोड पुत्री शाला के सामने वार्ड क्र.-20, रायगढ़.	19-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री सुनिल कुमार गर्ग	सिंधी कालोनी रोड खरसिया, जिला-रायगढ़.	14-09-2011
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री विजय कुमार अग्रवाल	मुकाम पोस्ट किरोड़ीमलनगर	19-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(17) जिला-जशपुर		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती हीरामती पैकरा	ग्रा. बांसबहार, पो. चोंगरीबहार, तह.-कांसाबेल, जिला-जशपुर.	05-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती रीना बरला	ग्रा. बच्छरांव, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर.	05-05-2010
3.	—,,—	श्रीमती सरिता बाई	ग्रा. कुनकुरी, पो. किलकिला, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर.	05-05-2010
4.	—,,—	श्री वेदप्रकाश भगत	ग्रा. व पो. पण्डरीपानी, तहसील-फरसाबहार, जिला-जशपुर.	05-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती नीलम मुंदड़ा	ग्रा. व पो. तपकरा, तह. फरसाबहार, जिला-जशपुर.	05-05-2010
6.	—,,—	श्रीमती मीना चौहान	ग्रा. व पो. बागबहार, तह. पत्थलगांव, जिला-जशपुर.	05-05-2010
7.	—,,—	श्रीमती उमादेवी	ग्रा. चराईडांड, तहसील-दुलदुला, जिला-जशपुर.	05-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक परिषद्	श्री शत्रुन्जय प्रताप सिंह जूदेव	विजय विहार फार्म, जशपुर नगर, जिला-जशपुर.	05-05-2010
		(18) जिला-दुर्ग		
1.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्रीमती अनिला भेड़िया	ग्रा. बड़ा जुगेरा, पो. सुरेगांव, तह.-डौंडी-लोहारा, जिला-दुर्ग.	29-05-2010
2.	—,,—	श्रीमती कविता साहू	ग्रा. सोढ़, पो. सोढ़, तह. बेरला, जिला-दुर्ग	29-05-2010
3.	—,,—	कुमारी देवी वर्मा	ग्रा. कोदवा. पो. मोहभट्टा, तह. बेरला, जिला-दुर्ग.	29-05-2010
4.	—,,—	श्री चंद्रिका देशमुख	मरारपारा बालोद, पो. व तह. बालोद, जिला-दुर्ग.	29-05-2010
5.	—,,—	श्रीमती जयंती साहू	ग्रा. गातापार, पो. बिल्हारी, तह. पाटन. जिला-दुर्ग.	29-05-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)	श्री नंदकुमार साहू	ग्रा. रूद्रा, पो. आलबरस, तह. व जिला-दुर्ग.	29-05-2010
7.	—,,—	श्रीमती ममता चंद्राकर	ग्रा. कठौतिया, पो. छिरहा, तह. बेमेतरा, जिला-दुर्ग.	29-05-2010
8.	—,,—	श्रीमती मिनाक्षी चंद्राकर	ग्रा. बटग, पो. बठैना, तह. पाटन, जिला-दुर्ग.	29-05-20[illegible]
9.	—,,—	श्रीमती रेखा कुर्रे	ग्रा. लहंगा, पो. गोढ़ी, तह. धमधा, जिला-दुर्ग.	29-05-2010
10.	—,,—	श्रीमती लता कोर्राम	ग्रा. देवरभाट, पो. जमरूवा, तह. बालोद, जिला-दुर्ग.	29-05-2010
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिक निगम	श्री पीयूष मिश्रा	एच.आई.जी. 2353 हा.वो.औ. क्षेत्र रोड भिलाई, जिला-दुर्ग.	05-08-2011
2.	—,,—	श्री सुरेन्द्र बजाज	बौद्ध विहार चौक शंकर नगर, दुर्ग, जिला-दुर्ग.	05-08-2011
3.	—,,—	श्री शिवेन्द्र परिहार	हरि नगर, कातुल बोर्ड, वार्ड-57, दुर्ग, जिला-दुर्ग.	05-08-2011
4.	—,,—	श्री मो. गफ्फार	गांधी चौक केम्प-2, भिलाई, जिला-दुर्ग	05-08-2011
1.	(नगरीय क्षेत्र) नगर पालिका परिषद्	श्री दिलीप कुमार पटेल	नूतन चौक, वार्ड क्र. 07, भिलाई-3, जिला-दुर्ग.	05-08-2011
	(नगरीय क्षेत्र) नगर पंचायत	श्री विजय शर्मा	धर्मशाला वार्ड 02, थान खम्हरिया, जिला-दुर्ग.	06-08-2011

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 जनवरी 2012

क्रमांक/6001/प्र-1/अ.वि.अ./2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	थानखम्हरिया	अकोला	0.15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	कारेशरा खम्हरिया मार्ग के किलो. मी. 5/6 पर खाती नाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्रमांक 13/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	समलपुरी	0.016	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	सकरी-पेण्ड्रीडीह बाय-पास सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्रमांक 14/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बोडसरा	0.266	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	सकरी-पेण्ड्रीडीह बाय-पास सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्रमांक 16/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमसेना	0.089	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	सकरी-पेण्ड्रीडीह बाय-पास सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनाँक 9 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी	7.708	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा.	विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	खैरभवना	5.144	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा.	विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजपाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्रमांक/क/प्रवा.-2/अ.वि.अ./2011/770A.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-झींका, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.714 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	37/6	0.065
	60	0.053
	41/6	0.198
	52/1	0.024
	52/2	0.024
	53	0.053
	57	0.049
	55	0.049
	56	0.049
	61/2	0.049
	67	0.069
	68/1	0.032
योग	12	0.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा झींका सड़क मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक/क/प्रवा.-2/अ.वि.अ./2011/771A.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हारीकला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	82/4	0.065
	82/6	0.105
	82/5	0.069
	82/12	0.049
	82/13	0.065
	82/10क	0.028
	82/16	0.113
	82/25, 409/10, 410/10	0.024
योग	10	0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरहर कुम्हारीकला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-स

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन/ राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-धरमजयगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पोढीछाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.983 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
164/1ख	0.101
167/2	0.053
168/1	0.077
168/2	0.081
169/2	0.032
170/1	0.012
172	0.133
169/7	0.057
173	0.081
175	0.133
177/2	0.133
183/1	0.125
187	0.113
[illegible]	0.073
[illegible]	0.061
[illegible]	0.032
[illegible]	0.133
[illegible]	0.028
[illegible]	0.085
[illegible]	0 101
192/3, 193/2	0.162
200/5	0.036
196	0.032
194/4क	0.040
213/6ख	0.024
194/5	0.085
194/6	0.081
213/1	0.061
214	0.105
213/6घ	0.024
213/6ग	0.024
213/6क	0.024
213/4क	0.028
213/4क	0.061
225/1ठ	0.053
225/1ड	0.045
226/2	0.012
226/1	0.057
225/4क	0.028
225/4ख	0.081
225/5क	0.061
225/5ग	0.061
227/1, 230/1, 232/1	0.093
225/5ग	0.061
योग 44	2.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोड़ी जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ- 2/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-देवरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.781 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
137/3	0.040
137/4	0.202
184/1	0.173
11/3	0.138
56/3	0.081
56/6	0.162
152/1	0.053
152/3	0.020
11/10	0.138
167	0.105
150	0.405
85/1	0.486
9	0.170
36	0.417
276/5	0.053
127	1.610
56/2	0.061
56/4	0.182
57	0.482
109	0.494
70/2	0.069
77/2	0.142
140/10	0.405
157/11	0.158
137/2	0.203
37/12	0.101
56/1	0.066
56/5	0.192
276/1	0.263
276/10	0.210
276/4	0.057
85/3	0.146
85/4	0.162
[illegible]	1.449
49/2क	0.257
(1)	(2)
8/1क	0.051
37/6क	0.061
37/7क	0.144
77/3	0.231
11/4	0.138
170/3	0.230
166/8	0.303
70/1	0.089
77/1	0.057
11/7	0.138
166/4	0.303
275/1	0.486
133/2	0.717
126/8	0.004
166/5	0.303
90/3	0.165
91/3	0.125
91/4	0.101
38/1	0.434
38/4	0.024
169/1	0.065
169/5	0.032
11/9	0.138
38/2	0.085
166/2	0.303
186/5	0.065
186/6	0.081
152/13	0.053
152/16	0.093
112	0.644
86	3.034
87/2	0.227
11/8	0.097
64	0.357
98/4	0.202
113/2	0.105
142/2	0.202
151/2	0.198
113/3	0.214
124	0.154
184/2	0.202
276/11	0.049
276/2	0.141
276/7	0.044
123	0.393
181	0.263

(1)	(2)
37/10	0.113
146/2	0.117
171/1	0.093
41/2	0.222
10/3	0.101
122/1	0.214
166/3	0.040
188	0.870
59	0.595
68	1.424
83	0.313
162	0.878
276/3	0.069
276/6	0.040
135	0.936
140/4	0.567
276/8	0.069
276/9	0.040
166/9	0.405
134/1	0.498
140/2	0.182
186/7	0.065
134/2	0.498
149/2	0.482
85/2क	0.444
116	0.745
117	0.631
166/7	0.040
88/2	0.146
166/6	0.303
176	0.312
274	0.243
8/1ख	0.050
49/2ख	0.256
37/6ख	0.060
37/7ख	0.143
85/2ख	0.405
6	0.275
योग 119	33.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ——— के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.652 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29/2	0.405
33/2क	0.355
49/1	0.040
50/2	0.036
52/5	0.053
22/8	0.174
22/9	0.170
22/10	0.105
68/4	0.103
60/3ङ	0.012
225/1ख	0.081
225/3	0.073
225/4	0.061
225/6ख	0.065
225/12	0.089
2/1ग	0.081
29/4	0.202
34/1ख	0.127
123/9	0.202
124/2ख	0.077
74	0.040
35/3	0.202
37/2	0.073
123/4	0.405
21/1	0.380

(1)	(2)
11/3	0.142
38/20	0.065
38/21	0.178
76/4	0.121
123/8	0.324
123/11	0.405
124/1ख	0.121
225/5	0.097
225/2	0.223
225/9	0.061
225/8ग	0.073
225/13	0.105
225/6क/1	0.081
15/9	0.012
15/12	0.012
123/10	0.162
29/3	0.405
28	0.057
124/2क	0.105
67/5	0.053
6/2घ	0.077
224/1	0.145
224/2	0.145
225/1क	0.101
26/1	0.133
38/4	0.125
38/6	0.462
15/1	0.437
15/4ख	0.004
15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/10	1.117
16/1	0.274
16/2	0.053
16/3	0.037
72/10	0.235
60/5	0.020
66/5	0.348
66/6	0.096
123/12	0.405
124/3ख	0.097
26/2	0.559
45/6	0.170
53/3	0.032
78/2	0.049
2/1क	0.340
124/5	0.105
124/6	0.138

(1)	(2)
125/1	0.405
126/1	0.223
126/3	0.324
126/4	0.324
22/1ख	0.210
27/1	0.093
34/1क	0.172
38/13	0.014
38/19	0.014
124/1क	0.045
123/2	0.324
225/6ग	0.192
225/8ख	0.214
39/2	0.324
23	0.243
73/3	0.219
73/6	0.040
123/3	0.182
123/7	0.242
35/6	0.081
21/2	0.380
123/6	0.405
29/5	0.405
35/4	0.405
38/8	0.219
38/10	0.235
4/2क	0.073
4/2ख	0.243
5/2	0.166
6/4	0.194
7	0.244
8	0.053
9/1	0.283
9/2	0.284
10	0.182
11/2	0.142
12/1	0.291
12/7	0.115
13/4	0.166
14/2	0.202
14/4	0.154
22/4	0.105
22/6	0.170
25/2	0.405
124/4क	0.081
124/4ख	0.020

	(1)	(2)
	126/2	0.223
	225/6क/2	0.568
	26/3	0.035
	26/4	0.071
	33/2ख	0.354
	25/1	0.174
	25/3	0.477
	15/11	0.041
	15/2	0.049
	15/3	0.020
	15/4क	0.016
योग	128	23.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.